न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 127/2020

यूको बैंक, चिडावा मुख्य शाखा, पिलानी रोड, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
–– प्रार्थी (सिक्योर केडिटर)

बनाम

श्री रामकुमार गौरा पुत्र मालाराम गौरा, वार्ड नं0 5, जुलाहों का मौहल्ला, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं वगैरह।

–– ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्शट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल असैट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 (अब आगे से एक्ट से सम्बोधित किया गया है) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत है।

उपस्थित:–
1. श्री इन्दुभूषण शर्मा, एडवोकट– प्रार्थी बैंक की ओर से
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, एडवोकेट–अप्रार्थी सं0 1 की ओर से

आदेश

दिनांक 09.03.2021

प्रार्थी यूको बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को कुल 6.50 लाख (अवकध लोन) की सुविधायें उपलब्ध करवाई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी से दस्तावेज भी निष्पादित करवाये गये थे। ऋणी की सलंग्न इंडेक्स के अनुसार सम्पत्तियों को बंधक किया गया था। ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक को नियमानुसार नही चुकानें के कारण ऋण खाता 31.12.2019 को एन0पी0ए0 हो गया। ऋण खाता दिनांक 31.12.2019 को ए0पी0ए0 होने पर एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 20.02.2020 को बकाया ऋण राशि चुकाने हेतु नोटिस को पंजीकृत पोस्ट से भेजा था जो कि ऋणी को प्राप्त हो गया था। ऋण की उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि रूप्ये 5,47,707.77 (अवधि लोन)+ब्याज कुल राशि सम्मिलित दिनांक 31.12.2019 एवं खर्चो तथा आगे तक का ब्याज जमा कराना था, परन्तु ऋणी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नही करवाई। जिसके कारण अब एक्ट की धारा 13 (4) –In case the borrower fails to discharge his liability in full with the period of specified in sub- section (2), the secured creditor may take resource to take possession of the secured assets of the borrower indluding the right to transfer by way to lease assifnment of sale for realizing for secured assets. एक्ट की धारा 14 (1) where the possession fof any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transfer by the secured creditors under the provision of this act, the secured creditor may for purpose of taking possession or control of any such secured assets, request in writing, the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured assets or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan

जिला कलक्टर झुंझुनूं

(79)

Magistrate or, as the case may be the District Magistrate shall, on such request being made to him- (a) Take possession of such assets and documents relating thereto 14 (3) No act of the Chief Metropolitan Magistrate or the Distract Magistrate done in pursuance of this section shall be called inquestion in any court or before any authority के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को निम्न बंधक एवं हाइपोथिकेटेड सम्पत्तियों का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने मे सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डाक्यूमेन्ट्स का ऋणी से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को दिलाने के लिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। बैंक सिक्योरिटीज का विवरण–प्रकरण का विवरण पृष्ठ संख्या 10 के अनुसार निम्न प्रकार है:– आवासीय सम्पत्ति का पता वार्ड नम्बर 5, पट्टा नं0 9, पट्टा जारी नगर पालिका एवं पंजीकृत पट्टा दिनांक 31.08.2012 जिसका क्षेत्रफल 245.86 वर्गगज है। यह सम्पत्ति श्री रामकुमार गौरा पुत्र मालाराम गौरा के नाम रजिस्टर्ड है। अतः प्रार्थी बैंक माननीय जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं राजस्थान से प्रार्थना करता है कि उपरोक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी से सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डाक्यूमेन्ट्स का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को दिलाने के लिए आदेश फरमायें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी प्रतिनिधि (बैंक प्रतिनिधि) ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया। अतः प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने ऋण चुकाने हेतु समय प्रदान करने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी यूको बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी यूको बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी यूको बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति पता वार्ड नम्बर 5, पट्टा नं0 9, पट्टा जारी नगर पालिका एवं पंजीकृत पट्टा दिनांक 31.08.2012 जिसका क्षेत्रफल 245.86 वर्गगज है। यह सम्पत्ति श्री रामकुमार गौरा पुत्र मालाराम गौरा के नाम रजिस्टर्ड है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है का पजेशन प्रार्थी यूको बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी यूको बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 09.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/03/21

(उमर दीन खान)
~~जिला कलक्टर एवं~~
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं